न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–1086/2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–75/2026

UPGZ010026202026

शबनम पत्नी बबलू त्रिपाठी, निवासी–लाल क्वार्टर, थाना–क्रोसिंग रिपब्लिक, जिला–गाजियाबाद----------आवेदक/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–12/2026
धारा–29 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–क्रोसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद

06.03.2026

1– प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–12/2026 धारा–29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–क्रोसिंग रिपब्लिक, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्ता की ओर से साबरी पत्नी अनीस का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना, एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्ता के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्ता से किसी प्रकार के नशीले पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी दर्शित है वह पुलिस द्वारा झूठी एवं फर्जी दर्शित की गयी है। अभियुक्ता उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्ता पर धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्ता शान्तिप्रिय व्यक्ति है। अभियुक्ता अपनी माकूल जमानत देने के लिये तैयार है। अभियुक्ता एक सम्मानित परिवार का सदस्य है, अतः जमानत की याचना की गयी।

5– अभियुक्ता के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि सहअभियुक्तगण ने उनसे बरामद अवैध नशीला पदार्थ को उन्होंने आवेदक अभियुक्ता शबनम और बब्लू त्रिपाठी का होना बताया है तथा यह भी बताया है कि उक्त बरामद नशीले पदार्थ को सहअभियुक्तगण आवेदक अभियुक्ता व बब्लू त्रिपाठी के कहने पर आवेदक अभियुक्ता के ठिकाने पर ले जाकर छोटी–छोटी पुड़िया बनाकर राह चलते लोगों को बेचते थे। अतः आवेदक अभियुक्ता के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.03.06 17:13:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांकः 22.01.2026 को सहअभियुक्तगण निखिल व हिमांशु उर्फ आकाश को क्रमशः 01 किलोग्राम 398 ग्राम एवं 01 किलोग्राम 108 ग्राम अवैध गांजा के साथ पुलिस हमराही बल द्वारा गिरफ्तार किया जाना अभिवर्णित है। उक्त सहअभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त गांजा आवेदक अभियुक्ता शबनम और बब्लू त्रिपाठी का होना तथा शबनम व बब्लू त्रिपाठी के कहने पर शबनम के ठिकाने पर ले जाकर छोटी–छोटी पुड़िया बनाकर राह चलते लोगों को बेचना कहा गया है। सहअभियुक्तगण निखिल व हिमांशु उर्फ आकाश का जमानत आवेदन हस्तगत न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत आख्या अनुसार मु०अ०सं० 110/2025, धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, अंतर्गत थाना–क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, मु०अ०सं० 10/2026, धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, अंतर्गत थाना–क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, मु०अ०सं० 15/2026, धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, अंतर्गत थाना–क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, मु०अ०सं० 1039/2016, धारा–60 आबकारी अधिनियम, अंतर्गत थाना–विजयनगर, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 516/2019, धारा–60 आबकारी अधिनियम, अंतर्गत थाना–विजयनगर, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 1518/2020, धारा–8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट, अंतर्गत थाना–विजयनगर, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 1410/2021, अंतर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, अंतर्गत थाना–विजयनगर, गाजियाबाद व मु०अ०सं० 144/2022, अंतर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, अंतर्गत थाना–विजयनगर, गाजियाबाद भी पंजीकृत होना बताया गया है, परन्तु आवेदक अभियुक्ता के कब्जे से प्रस्तुत प्रकरण में अवैध नशीले पदार्थ की बरामदगी दर्शित नहीं है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक अभियुक्ता का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता शबनम की ओर से मु०अ०सं०–12/2026 धारा–29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–क्रॉसिंग रिपब्लिक, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–75/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अंकन 60,000/– रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय, सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) आवेदक/अभियुक्ता जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगी।

(ii) आवेदक/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्ता न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

(iv) आवेदक/अभियुक्ता आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगी।

(v) आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण के दौरान साक्षियों से प्रतिपरीक्षा, कथन अन्तर्गत धाराः 313 दं०प्र०सं० तथा बहस के स्तर पर कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगी।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP6480